एक नजर में

जीवाजी विवि और बरकतुल्लाह विवि के बीच शिक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एमओयू

ग्वालियर 9 मार्च. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य स` आज 9 मार्च को जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एसके जैन के हस्ताक्षर के बाद हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करना है। इसके तहत संयुक्त अनुसंधान, संकाय एवं छात्र विनिमय, पाठ्यक्रम विकास तथा सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन जैसे कार्य किए जाएंगे। यह एमओयू आगामी तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसके माध्यम से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन इ पी) के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में समान अवसर और समावेशिता को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आई सी टी आधारित डिजिटल एवं बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी यह समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पहल से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे और छात्रों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस उपलब्धि पर जीवाजी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य को बधाई दी गई।

छात्राओं को सिखाए सुरक्षा के गुर

ग्वालियर 9 मार्च. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्राओं के सशक्तिकरण और आत्मरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कराटे कोच हनी गुर्जर रहीं। कार्यक्रम में हनी गुर्जर ने छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न व्यावहारिक गुर सिखाए और बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करती है। उन्होंने छात्राओं को नियमित अभ्यास, मानसिक दृढ़ता और अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजीव मिश्रा व प्रो. जे.एन. गौतम उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के साथ-साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी छात्राओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की नेशनल टास्क फोर्स की नोडल ऑफिसर डॉ. साधना श्रीवास्तव, काउंसलर डॉ. सुनीशा कुलकर्णी तथा समाज कार्य विभाग की डॉ. अर्चना चतुर्वेदी सहित छात्राएँ मौजूद रहीं।

शहर की संकरी गलियों में बन गए बाजार, दे रहे हादसों को आमंत्रण

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर 9 मार्च. शहर कल एक बार फिर चीखों और धुएं के गुबार से थर्रा उठा। शहर का हृदय स्थल कहा जाने वाले महाराज बाड़े के पास बाला बाई का बाजार में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण

बाला बाई का बाजार में लगी आग के तांडव के बाद शहर के लोगों ने गलियों में बन रहे बाजारों और अतिक्रमण पर व्यक्त की चिंता

आग ने न केवल एक महिला की जान ले ली, बल्कि कई लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन इस आग ने शहर के उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, जो पिछले एक दशक से ग्वालियर के सीने पर अंकित हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों

का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्वालियर के लोगों का साफ कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा है।

अतिक्रमण बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा

घटनास्थल बाल बाई का बाजार ही नहीं बल्कि बाड़े के आसपास के सभी बाजारों की स्थिति यह है कि पैदल चलना भी दूभर है, इन गलियों ने अब बंजारों की शक्ल ले ली है इतना ही नहीं दुकानदारों ने घर की सीमा से बाहर भी अपने काउंटर लगाकर इन गलियों को बेहद सकरा कर दिया है। ऐसे में दमकल की गाड़ियों का घटना स्थल पर पहुंचना चुनौती भरा होता हैं।

खौफनाक यादें, जब आग ने छीनीं खुशियां

ग्वालियर में आगजनी का इतिहास बेहद डरावना रहा है। प्रशासन ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया, जिसकी तस्दीक ये आंकड़े करते हैं- 13 जून 2015 को मुरार के एक मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। 17 मार्च 2016 को आनंद नगर में बंसल होम के गोदाम में भीषण आगजनी की घटना हुई थी। 11 मार्च 2020 मोची ओली में भी आग की चपेट में आने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई थी। 18 मई 2020 को रोशनी घर मार्ग स्थित गोयल पेंट हाउस कांड - 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। 24 सितंबर 2022 को भी कांच मिल जूता फैक्ट्री में आग लगी थी तब वहां के कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान बचाई थी।

शहर में बढ़ते वाहन, बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था

दुकानदारों ने अतिक्रमण कर सड़कों को संकुचित कर दिया है। महाराज बाड़ा और आसपास के मुख्य बाजारों में वाहनों का दबाव इतना अधिक है कि आपातकालीन स्थिति में 'गोल्डन ऑवर' (बचाव का शुरुआती समय) ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ जाता है हर हादसे के बाद जांच के आदेश तो होते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति जस की तस बनी रहती है।

जनता का सवाल- कब जागेगा प्रशासन

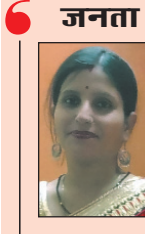

'हम कब तक अपनों को खोते रहेंगे?' यह सवाल आज बाला बाई के बाजार के हर निवासी की जुबान पर है। एडवोकेट गीतांजली शर्मा का कहना है कि जब तक बाजारों से अतिक्रमण नहीं हटता और फायर सेफ्टी के कड़े नियम लागू नहीं होते, तब तक ग्वालियर के संकरे बाजार और रिहायशी इलाके इसी तरह 'बारूद के ढेर' पर बैठे रहेंगे।

बाला भाई के बाजार के पास रहने वाले फिल्मकार अनुज श्रीवास्तव का कहना है कि कल की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर वक्त रहते सबक नहीं लिया गया, तो ग्वालियर की ये तंग गलियां भविष्य में और भी बड़ी त्रासदियों की गवाह बनेंगी। समझ नहीं आता शहर में इतनी बार हादसे हो चुके हैं आखिरकार हमारा जागरूक प्रशासन कब जागेगा?

यूपीएससी में चयन पर सृष्टि का वैश्य विकास परिषद् ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 9 मार्च. संघ लोक सेवा आयोग (PSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में 160वीं रैंक हासिल कर आईएएस (IAS) बनने वाली शहर की होनहार बेटी सृष्टि गोयल का वैश्य विकास परिषद् ने उनके निवास पर पहुँचकर भव्य सम्मान किया। सृष्टि की इस उपलब्धि से पूरे ग्वालियर और विशेषकर अग्रवाल समाज में हर्ष की लहर है।

परिषद् की अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने सृष्टि को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान सृष्टि की माता अंजू गोयल को भी विशेष

रूप से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि किसी भी बच्चे की सफलता में माता-पिता के संस्कारों और त्याग का अमूल्य योगदान होता है।

समाज के लिए प्रेरणा

संस्था के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सृष्टि आने वाले समय में देश और समाज का नाम रोशन करेंगी।

इस अवसर पर समाज के युवाओं को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रमुख उपस्थिति

समारोह में संस्था अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, मार्गदर्शक राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष मंजू सिंघल, नेमीचंद जैन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, राकेश सिंघल, रवि अग्रवाल और मोहनलाल गोयल सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

24 घंटे में ग्वालियर से बरामद हुई नाबालिग

ग्वालियर। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत डबरा सिटी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर अपहरण की शिकार एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को ग्वालियर से सकुशल बरामद कर लिया है। 7 मार्च को डबरा निवासी एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है।

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवासीय भूखण्ड क्रमांक 06 का भाग जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 2/2, 4/2,62/2, 63/2 राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर का भाग होकर वार्ड क्र. 07, श्रीजी धाम कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्राम मोहम्मदपुर, ग्वालियर तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-प्लॉट क्रमांक 06 का शेष भाग, पश्चिम में-प्लॉट क्रमांक 05, उत्तर में-अन्य का प्लॉट, दक्षिण में आम रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री अनूप श्रीवास्तव पुत्र श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव निवासी वार्ड क्रमांक 08, जौरी कोटवान, अटेर, जिला भिण्ड, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामि/अनुबंधकर्ता श्रीमती रेखा पुत्री श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बांसोढ़ी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास निर्माण ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, सर्वे क्रमांक 2/2, 4/2, 62/2, 63/2 राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर की भूमि अनुबंधकर्ता / सम्पत्ति स्वामी अन्य सह-स्वामी के साथ संयुक्त स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करती है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से अनुबंध-पत्र का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक : 09/03/2026.

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR, M.P., के Gb द्वारा अचल संपत्ति स्थित मौजा जौरासुर्द, वार्ड क्र. 39, गोपाल वार्ड, विद्याराम सिंह वाली गली, मुरैना, सर्वे क्रमांक: 823/1 का भाग, कुल क्षेत्रफल 628 वर्गफीट यानि 58.36 मीटर है, जिसकी चतुरसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में: आम रास्ता गली, पश्चिम में: गन्दी गली 5 फीट चौड़ी, उत्तर में: भवन संपत्ति अवस्थी जी, दक्षिण में: भवन श्रीवास्तव जी, श्री दीपक जैन एवं श्री प्रदीप जैन एवं श्री अमन जैन पुत्रगण श्री महावीर प्रसाद जैन निवासीगण : गोपालपुरा, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व की संपत्ति है जो कि जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र क्र. MP25792022A11154301, दिनांक: 21-11-2022 से श्रीमती मुन्नी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती गायत्री जैन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जैन पत्नी श्री देवेंद्र जैन एवं श्रीमती अंजू जैन पुत्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्री पंकज जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती अनीता जैन पत्नी श्री मुन्नालाल जैन एवं श्री अनुराग जैन एवं श्री रजत जैन पुत्रगण श्री मुन्नालाल जैन एवं श्रीमती दीपिका जैन पुत्री श्री मुन्नालाल जैन पत्नी श्री रौनक जैन एवं श्रीमती दीप्ति जैन पुत्री मुन्नालाल जैन पत्नी श्री आशीष जैन सभी निवासीगण गोपालपुरा, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना म.प्र. से प्राप्त हुई है। यह कि श्रीमती मुन्नी जैन एवं श्री दीपक जैन एवं श्री प्रदीप जैन एवं श्री अमन जैन एवं श्री पंकज जैन एवं श्रीमती गायत्री जैन एवं श्रीमती अंजू जैन को उक्त वर्णित संपत्ति अपने पिता श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्री श्रीमती अनीता जैन एवं श्री अनुराग जैन एवं श्री रजत जैन एवं श्रीमती दीपिका जैन एवं श्रीमती दीप्ति जैन को उक्त वर्णित संपत्ति अपने पिता श्री मुन्नालाल जैन की मृत्यु के पश्चात बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हुई थी। यह कि उक्त वर्णित संपत्ति श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्री मुन्नालाल जैन ने जरिये विक्रय पत्र क्र. 1217 दिनांक: 07-10-1998 को श्री चानन्द प्रकाश एवं श्री कृष्णा मुरारी पुत्रगण स्व. श्री शांति किशोर दीक्षित निवासीगण ग्राम टेंटरा पोस्ट, टेंटरा तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, से प्राप्त हुई थी। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को श्री दीपक जैन एवं श्री प्रदीप जैन एवं श्री अमन जैन के स्वत्व, स्वामित्व हक पर हस्तक्षेप हो या श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्री मुन्नालाल जैन के वारिसान /उत्तराधिकारी होने का दावा करता हो तो स्वयं मेरे कार्यालय या AU SMALL FINANCE BANK पर उपस्थित होकर अपना हस्तक्षेप या दावा आज दिनांक: 10-03-2026 से सात दिन के अंदर दर्ज करावे, उक्त मियाद पश्चात उक्त वर्णित संपत्ति उपरोक्त वर्णित बैंक में साम्य बंधकीत की जावेगी सो सूचित हो, तत्पश्चात आपका हस्तक्षेप एवं दावा अमान्य एवं अस्वीकार्य होगा।
दिनांक 09.03.2026

प्रेषक: **संस्कार शर्मा** (अधिवक्ता)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर
कार्यालय:5-B सतीश निवास, अशोक कॉलोनी, स्त्रासनी बाज़ार, लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.) मो. 9074602044

आम सूचना (सार्वजनिक विज्ञप्ति)

सर्वसाधारण को एतःद्वारा सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार श्री विनोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री दया स्वरूप शर्मा, निवासी श्रुति एन्क्लेव कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) के केवल दो पुत्रियाँ हैं तथा उनका कोई जैविक/दत्तक पुत्र नहीं है। यहकि मानवता एवं सद्भावना के आधार पर उन्होंने अभिषेक शर्मा, नामक व्यक्ति का पालन-पोषण किया, उसे शिक्षित किया तथा उसका विवाह भी संपन्न कराया। किंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उक्त अभिषेक शर्मा गलत संगति एवं अवांछित गतिविधियों में संलिप्त हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरे पक्षकार एवं उनके परिवार को उसके कर्जदारों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा निरंतर मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार समझाइश देने एवं सुधार का अवसर प्रदान करने के उपरांत भी उसके आचरण, व्यवहार एवं कार्यप्रणाली में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ।

विशेष चेतावनी: सार्वजनिक रूप से यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भविष्य में अभिषेक शर्मा के साथ किसी प्रकार का लेन-देन, ऋण, अनुबंध अथवा अन्य व्यवहार करता है, तो वह पूर्णतः उसकी स्वयं की जिम्मेदारी एवं जोखिम पर होगा। उसके द्वारा किए गए किसी भी ऋण, वित्तीय दायित्व, अनुबंध, वचनबद्धता अथवा आपराधिक कृत्य के लिए मेरे पक्षकार अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। यह सूचना जनहित एवं भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

दिनांक: 06.03.2026, स्थान: ग्वालियर (म.प्र.)

प्रार्थी: विनोद कुमार शर्मा
द्वारा: लोकेन्द्र शर्मा (अभिभाषक)

CHANGE OF NAME

I, **BIMLA SHARMA** W/O **RAMESHAWER DUTT** is legally Mother of **KULBHUSHAN SHARMA** Presently Residing at H.No.-89, Village- Picholia, Karnal, Haryana Pin- 132036 have changed my Name from **BIMLA SHARMA** to **BIMLA DEVI** due to mismatch in my Son's Service documents. Vide Affidavit No BX 717481 Dated 09/03/2026 before High Court Gwalior M.P.

CHANGE OF NAME

I, **RAMESHWAR DUTT SHARMA** S/O **GANPAT RAM** is legally Father of **KULBHUSHAN SHARMA** Presently Residing at H.No.-89, Village- Picholia, Karnal, Haryana Pin- 132036 have changed my Name from **RAMESHWAR DUTT SHARMA** to **RAMESHAWER DUTT** due to mismatch in my Son's Service documents. Vide Affidavit No BX 717480 Dated 09/03/2026 before High Court Gwalior M.P.

CHANGE OF NAME

I, **HASU BEN** wife of **GOHIL RAJESHBHAI** Presently residing at Village- Lakhchokiya, Tehsil- Chotila, Dist- Surendra Nagar, State- Gujrat, Pin- 363520 have changed my name from **HASU BEN** to **GOHIL HASUBEN RAJESHBHAI** Vide Affidavit No. BX 982169 & Date- 27.02.2026 before D.P. Pant, Notery, Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, **HASU BEN** wife of **GOHIL RAJESHBHAI** Presently residing at Village- Lakhchokiya, Tehsil- Chotila, Dist- Surendra Nagar, State- Gujrat, Pin- 363520 have changed my name from **HASU BEN** to **GOHIL HASUBEN RAJESHBHAI** Vide Affidavit No. BX 982169 & Date- 27.02.2026 before D.P. Pant, Notery, Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

I **MAHESH KAMRA,** resident of 41, Satyam Appts. M.L.B. Colony, Padav, Gwalior would like to declare that I was previously known as **MAHESH KUMAR** and **MAHESH KUMAR KAMRA** in various documents.I am changing my name to **MAHESH KAMRA** s/o Late **Sukhram Das Kamra** in every official record.(Where **MAHESH KUMAR** and **MAHESH KUMAR KAMRA** are the complete old names and **MAHESH KAMRA** is the complete new name.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी, जिला गुना

प्रकरण क्रमांक 0103 /स-149/2025-26

(विज्ञप्ति)

आवेदकगण अजय राव पुत्र श्री राजू राव (आयु 31 वर्ष) निवासी ग्राम पीपल्या नजदीक सिगनपुर तहसील कुंभराज जिला गुना म.प्र. हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी जैन मंदिर के पास गुना तहसील व जिला गुना एवं पूजा श्रीवास पुत्री श्री रामनिवास श्रीवास (आयु 34 वर्ष) निवासी बेडी वाली माता मंदिर के पास, तलैया मोहल्ला, शिंदे की छाबनी ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा उचित शीर्ष में 100 रूपये का चालान आदि दस्तावेज पेश कर मय साक्षियों सहित विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में दिनांक 30.03.2026 तक अपनी आपत्ति अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे से 06:00 बजे तक दर्ज करा सकते है। नियत दिवस व्यतीत होने पर किसी प्रकार की शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होंगी।

(अखिलेश कुमार जैन)
अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला गुना म.प्र.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

प्रकरण क्रमांक/0009/अ-6-अ/2023-24
333
पोहरी दिनांक 25/02/2026

1. मुंशी पुत्र तुला जाति गडरिया 2. जगदीश पुत्र तुला जाति गडरिया 3. रामकिशन पुत्र तुला जाति गडरिया 4. श्रीमती गुमान्दे पत्नी तुला जाति गडरिया 5. पतियां पुत्री तुला जाति गडरिया 6. हेमवती पुत्री तुला जाति गडरिया नि. ग्राम रैयन तहसील बैराड जिला शिवपुरी म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

पटवारी ग्राम रैयन तहसील बैराड जिला शिवपुरी म.प्र.

---- अनावेदक

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा आवेदक/अनावेदक को सूचित किया जाता है कि तहसील बैराड में स्थित ग्राम रैय्यन के भूमि सर्वे नं. 730 रकवा 0.28 हे. भूमि का इस न्यायालय में दुरूस्ती का प्रकरण प्रचलित है।

अत: तहसील बैराड में स्थित ग्राम रैय्यन के भूमि सर्वे नं. 730 रकवा 0.28 हे. भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में समय प्रात: 11:00 बजे दिनांक 13/2/26 प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

(अनुपम शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

आम सूचना

श्रीमती पपीता जाटव पत्नी श्री रामप्रकाश जाटव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड का भाग, स्थित ग्राम खेरियामोदी, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 61 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 297/3 ग्राम खेरियामोधी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 893 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-भूखण्ड विक्रेता, पश्चिम में-भूखण्ड विक्रेता, उत्तर में-रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भूमि दीगर है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रघुवीर, श्री रामदीन, श्री रामखिलाड़ी पुत्रगण श्री न्यासीराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रघुवीर सिंह द्वारा सम्पत्ति 1425 वर्गफुट एरिया श्रीमती पपीता जाटव पत्नी श्री रामप्रकाश जाटव को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592024ए11282780 दिनांक 25.10.2024 से विक्रय की गई। श्रीमती पपीता जाटव द्वारा अपनी कुल सम्पत्ति 1425 वर्गफुट में से रान्पति 532 वर्गफुट एरिया श्रीमती पूनम जाटव पुत्री श्री भगवानलाल जाटव पत्नी श्री रवि पंडोलिया को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 21 आईजीआर 17412025ए101176121 दिनांक 22.12.2025 से विक्रय की गई। इस प्रकार श्रीमती पपीता जाटव के पास शेष सम्पत्ति 893 वर्गफुट बची। श्रीमती पपीता जाटव द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा शिल्पा पत्नी श्री किशन सिंह कौरव ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट क्र. 126 स्थित रामजानकीपुरम ग्राम जडेरूआ कलां जिला ग्वालियर में है। जो कि सर्वे क्र. 388/1/1 का भाग 1000 वर्गफुट जिसका म्यु. वार्ड क्र. 21 है, जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता मनीष यादव पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह यादव के दादाजी हाकिमसिंह पुत्र स्व. श्री जनवेदसिंह ने रजिस्टर्ड वसीयत दस्तावेज क्र 179 तारीखी 4.7.2015 विक्रेता मनीष यादव एवं परिवार के सदस्यों के हित में सम्पादित की गई। मेरी पक्षकारा के विक्रेता मनीष यादव के दादाजी हाकिमसिंह पुत्र स्व. श्री जनवेदसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वसीयत ग्रहिता की हैसियत से उक्त अचल संपति भूमि के मालिक व काबिज है। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लॉट क्र.96, उत्तर में - प्लॉट क्र. 125, दक्षिण में -प्लॉट क्र. 127 जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेता मनीष यादव के दादाजी हाकिमसिंह पुत्र स्व. श्री जनवेदसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद वसीयतग्रहिता की हैसियत से उक्त अचल संपति प्लॉट मेरी पक्षकारा शिल्पा पत्नी श्री किशन सिंह कौरव को विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता मनीष यादव के किसी भी परिवारिक सस्दय को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा उक्त अचल संपति प्लॉट क्र. 126 का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा आई. सी. आई. सी.आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-09.03.2026
स्थान-ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

विवेकपूर्ण निवेश सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य की नींव

ग्वालियर 9 मार्च. ओजस्विनी विचार मंच ग्वालियर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए निवेश योजना एवं धन संपत्ति प्रबंधन विषय पर होटल लैंडमार्क एन एक्स में एक सेमिनार आयोजित किया। बचत करना नारी का एक विशेष गुण है। कोरोना जैसे भीषण संकट काल में छोटी छोटी बचतों ने कई परिवारों को सहारा दिया।

बचत और निवेश का सही संयोजन कैसा हो इस विषय पर निवेश सलाहकार विपुल सिंह चौहान, शाखा प्रमुख एन जे ग्रुप एवं सीए निधी अग्रवाल, ग्वालियर सीआईआरसी ऑफ आईसीआईसीआई की प्रथम चेयरपर्सन ने धन निवेश की कई योजनाओं को बताया, जहां आपका पैसा सुरक्षित भी हो और मुनाफा भी हो। विशेषज्ञों द्वारा सभी ओजस्विनी बहनों के धन निवेश के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए आय व्यय बचत निवेश आपातकालीन निधि आदि विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉ अलका प्रधान, अतिथि परिचय निर्मला शुक्ला और गीत की प्रस्तुति नीलम शुक्ला द्वारा की गई। अतिथियों का स्वागत डॉ लक्ष्मी त्यागी, बीना मिश्रा, गुंजन सिंघल, उमा पांडे एवं आशा त्रिपाठी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंजना मिश्रा ने किया। अंत में ओजस्विनी विचार मंच की सचिव नीलम शुक्ला ने अतिथियों एवं सभी ओजस्विनी बहनों का आभार व्यक्त किया। रंगपंचमी के अवसर रचना सोलंकी के होली गीत पर थिरकते हुए फूलों और गुलाल से सभी ने हर्ष उल्लास के साथ होली मनाई। और